

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला जशपुर (छ.ग.)

क्रमांक—पुअ/जश/स्टेनो/शिका/२०६२/०५
प्रति,

दिनांक २२/०९/०५

श्री त्रिपुरारी रॉय,
 असिस्टेंट डायरेक्टर,
 नेशनल कमिशन फॉर शोड्यूल ट्राईब,
 ६वीं फ्लोर, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
 नई दिल्ली-११०००३.

विषय:- श्रीमती शकुन्तला टोप्पो, तहसील चौक बगीचा जिला जशपुर छ.ग. की शिकायत पर अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम बाबत.

सन्दर्भ:- क. छत्तीसगढ़ // एसटी-१०/२००५-एट्रोसिटी. दिनांक २५.८.०५.

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि अप.क. ४९/०५ धारा ४५२, ३२३, ३६५, ३४२/३४ भादवि के अभियुक्त युद्धवीर सिंह जूदेव एवं अन्य प्रकरण की विवेचना थाना बगीचा में चल रही है। प्रकरण में आरोपियों द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर में लगाया गया था, जो खारिज हो जाने पर अग्रिम जमानत हेतु अर्जी माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत की गई है। माननीय उच्च न्यायालय की मांग पर प्रकरण की पुलिस केश डायरी मूलतः माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक ८.८.०५ को भेजी गई है। डायरी माननीय उच्च न्यायालय से वापस प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अग्रिम विवेचना नहीं हो पा रही है।

श्रीमती शकुन्तला टोप्पो जो कि हलीम फिरदौषी जाति मुसलमान की पत्नी है। हलीम फिरदौषी की शिकायत पर अपराध क. ४९/०५ दर्ज किये जाने के पश्चात् उक्त शिकायत पत्र प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत पत्र में तथा उसके द्वारा दिये गये बयान में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि उक्त घटना आरोपियों ने अनुसूचित जन जाति के सदस्य को प्रताङ्गित करने तथा अत्याचार करने के प्रयास में घटना कारित किया है। प्रार्थिया के साथ आरोपियों ने मारपीट सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया है। घटना रात्रि २-२.३० बजे की है। प्रार्थी के घर के अंदर प्रार्थी के साथ मारपीट करते समय बीच-बचाव के दौरान हुआ है। घर के अंदर मारपीट होने के कारण धारा ४५२ भादवि लगाया गया है। इस कारण अप.क. ४९/०५ थाना बगीचा में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत अपराध दर्ज नहीं हुई और न ही संज्ञान लिया गया है। प्रार्थी हलीम फिरदौषी एवं उनके परिवार की सुरक्षा हेतु थाना प्रभारी बगीचा को निर्देशित किया गया है और प्रार्थी को सुरक्षा प्रदान की गई है।

तदनुसार प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:-

१. प्रार्थी शकुन्तला टोप्पो की शिकायत
आवेदन पत्र।
२. प्रार्थी हलीम फिरदौषी का आवेदन पत्र।

पुलिस अधीक्षक
जिला-जशपुर

७/४/०१/अ
३-१०-०५